भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1109
29.07.2024 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में पूर्ण विकसित पेड़ों की कटाई

1109. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) **क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने** 33000 से अधिक पूर्ण विकसित **पेड़ों और** 78946 पौधों को काटे जाने के बारे में **सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है और यदि** हां, तो क्या सरकार ने इसके कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट क्या है।

(ख) **क्या सरकार के पास इस घटना के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों** से निपटने के लिए कोई **विशेष रणनीति है और यदि** हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने 33000 पूर्ण विकसित पेड़ों को काटने के **अलावा किसी अन्य वैकल्पिक उपाय पर विचार किया है और यदि** हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): **वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों**/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। **देश के वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम** 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) **अधिनियम** 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 **और राज्य वन अधिनियम**, वृक्ष संरक्षण **अधिनियम और नियम आदि** शामिल हैं। राज्य सरकारें/**संघराज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत बनाए गए उपबंधों के अंतर्गत वनों और वृक्षों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।**

जब भी किसी प्रासंगिक कानून के तहत स्वीकृत विकास परियोजना के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है, **तो संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रतिपूरक गतिविधियां शुरू की जाती हैं।**

उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षों की कटाई/इनको हटाने की अनुमति देने से पहले जारी किए गए सभी नियमों, **विनियमों और दिशा-निर्देशों** का पालन किया जाता है।

*****